चिकित्सा महाविद्यालय, मेदिनीनगर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भूमि के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

आज दिनांक 29.12.2014 को मेरी अध्यक्षता में चिकित्सक दल द्वारा जिला प्रशासन द्वारा मेदिनीनगर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/चिह्नित हेतु निम्नांकित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया:–

(1) ग्राम जोरकट स्थित श्री कृष्ण संस्थान की भूमि।
(2) ग्राम चियाँकी स्थित साहनी परिवार की भूमि।
(3) ग्राम पोखराहा खूर्द स्थित सरकारी (G.M. Malik) भूमि।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त में से ग्राम पोखराहा खूर्द स्थित सरकारी भूमि (गैरमजरूआ मालिक) में 12½ एकड़ एव सदर अस्पताल, मेदिनीनगर के परिसर में अस्पताल हेतु 8.93 एकड़ कुल रकबा 21.43 एकड़ भूमि उपलब्ध है, शैक्षणिक कार्य एवं अस्पताल हेतु निम्न कारणो से सर्वाधिक उपयुक्त है जो M.C.I. के guidline के अनुसार 20 एकड़ भूमि की उपलब्धता को पूरा करता है:–

(i) सदर अस्पताल से चिकित्सा महाविद्यालय के Academic Section हेतु पोखराहा खूर्द की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है तथा चिकित्सा हेतु प्रस्तावित भवन सदर अस्पताल के परिसर में होगा जिससे सदर अस्पताल में ईलाज के दौरान आवश्यक होने पर रोगी को चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में Refer/Shift करने में कम–से–कम समय लगेगा तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुगम ढंग से उपलब्ध हो सकेगा।

(ii) दोनों स्थलों पर उपलब्ध भूमि सरकारी है एवं विवादरहित है तथा सरकार को इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करना होगा।

(iii) दोनों स्थल समतल तथा उच्च स्थान पर स्थित है जहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तथा आवागमन हेतु पक्की सड़क तथा आवश्यक शैक्षणिक/अस्पताल के भवन के निर्माण में तकनीकि रूप से उपयुक्त होगा।

(iv) अन्य दो स्थलों पर भूमि या तो रैयती है जिसके लिए सरकार को अतिरिक्त खर्च का वहन करना होगा तथा पोखराहा खूर्द की तुलना में दूरी भी ज्यादा है या विवादग्रस्त तथा न्यायालय में विचाराधीन मामले से संबंधित है।

अतः चिकित्सा दल के सभी सदस्य पोखराहा खूर्द में चिकित्सा महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा सदर अस्पताल में चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल को सार्वधिक उपयुक्त मानते हैं।

29/12/14	29/12/14	29/12/14
सदस्य **चिकित्सक**	**सदस्य** **चिकित्सक–सह–** **उपाधीक्षक, सदर अस्पताल**	**असैनिक शल्य** **–सह–** **मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,** **पलामू।**

कार्यालय–असैनिक शल्य चिकित्सक, मेदिनीनगर, पलामू।

ज्ञापांक 2288 दिनांक 30.12.2014

प्रतिलिपि– उपायुक्त, पलामू की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अपर समाहर्त्ता, पलामू की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/14
असैनिक शल्य
–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
पलामू।